No. 2021/HQ/Admin/RTI-807 **New Delhi: 06.08.2021**

श्री अंकित गोयल
सहारनपुर रोड, रजत धर्म कांटा,
कार्यालय भारतीय किसान यूनियन, रोहना खुर्द
जिला मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश-251202
मोबाइल-9058465821

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक Nil, जो मुख्य महाप्रबंधक/ मेरठ, के कार्यालय में दिनांक 09.07.2021 को एवं इस कार्यालय में दिनांक 05.08.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त बिन्दुवार सूचना संलग्न है। यह सूचना आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिब्बर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 33 पृष्ठ

06/08/2021

(एस. के. राय)
उप. महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
इ-मेल-skroy@dfcc.co.in
दूरभाष - 011-23454707

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन आफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
Office: 3rd Floor, Shri Bala Complex, (Opp. Subharti University), Ved Vyaspuri, By Pass Road, NH-58, Meerut-250002, Telefax: 121-2439040

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

पत्रांक–एम0टी0सी0/ई0एन0/आर0टी0आई0/भाग–8

दिनांक : 05.08.2021

डिप्टी जी.एम/एडमिन (पी.आई.ओ.)
कॉरपोरेट ऑफिस, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
प्रगति मैदान, नई दिल्ली।

विषयः– **जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– आवेदनकर्ता श्री अंकित गोयल, निवासी–सहारनपुर रोड़, रजत धर्म कांटा, कार्यालय भारतीय किसान यूनियन, रोहना खुर्द, जिला–मुजफ्फरनगर (यू.पी.) पिन कोड–251202 मो0 नं0–9058465821 का प्रार्थना पत्र (प्राप्ति दिनांक–09.07.2021)।

उपरोक्त संदर्भित आवेदनकर्ता द्वारा चाही गयी सूचना की जानकारी जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नवत है।

क्र0 सं0	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	प्रार्थी द्वारा डीएफसी परियोजना के निर्माण में जिला सहारनपुर के निम्नलिखित ग्रामों की जानकारी चाही गयी हैः– **रणखण्डी, ग्राम घौलोली, ग्राम बघाई कलां, ग्राम डांडी थामना** उक्त ग्रामों के अभी तक (30/7/21) कितने किसानों के खेतों से मिट्टी उठाई गयी है? **किसानों के नाम, किसानों के पिता के नाम, पूरा पता, उठाई गयी मिट्टी की मात्रा** की जानकारी दी जाए, साथ ही यह भी जानकारी दी जाए कि मिट्ठी उठाई जानी कब प्रारम्भ की गई थी? क्या मिट्टी उठाये जाने का कार्य अभी भी जारी है या पूर्ण हो चुका है?	• उक्त के क्रम में चाही गयी सूचना Annexure-1 में उपलब्ध है। • निर्माण कार्य जारी है।
2	प्रार्थी द्वारा यह भी जानकारी चाही गयी है कि **परियोजना हेतु किस आधार पर खनन की अनुमति सरकार** द्वारा दी गई है, जिसमें सहारनपुर के अधिकारी, महोदय की अनुमति की प्रतिलिपि भी सम्मिलित हो। यह भी जानकारी दी जाए कि खनन की अनुमति किस प्रकार की मिट्टी को उठाये जाने को दी जाती है। मिट्टी की परिभाशा सहित समझाया जाए। साथ ही यह भी बताया जाए कि उपजाऊ भूमि की मिट्टी उठाई जा सकती है?	उक्त के क्रम में चाही गयी सूचना Annexure-2 में उपलब्ध है।
3	प्रार्थी द्वारा यह भी जानकारी चाही गयी है कि **रेल मार्ग के निर्माण हेतु किसान के खेत से मिटटी उठाने का क्या नियम है, जिसमें खेत से उठाई गयी मिटटी की गहराई आदि की जानकारी चाही गयी।** यह भी जानकारी दी जाए कि यदि किसान की भूमि उपजाऊ है और किसान मिट्टी उठवाना चाहता है, तब कितनी गहराई तक मिट्टी उठाई जा सकती है।	उक्त के क्रम में चाही गयी सूचना Annexure-2 में उपलब्ध है।
4	प्रार्थी द्वारा यह भी जानकारी चाही गयी है कि **परियोजना में रेल मार्ग के निर्माण से उपरोक्त गांवो से उठाई गई मिटटी की रॉयल्टी (जिसका भुगतान सरकार को किया गया है।) की प्रतिलिपि भी चाही गयी है। साथ ही यह भी जानना चाहता है कि रॉयल्टी की प्रतिलिपि किसान (जिसके खेत से मिटटी उठाई गई) को दी जा सकती है, या नहीं यदि हॉ तो अभी तक उपरोक्त गांवो के कितने किसानों को रॉयल्टी की प्रतिलिपि दी गई है, के नाम सहित सूचना चाही गयी है।**	उक्त के क्रम में चाही गयी सूचना Annexure-2 मे उपलब्ध है।

<u>संलग्नकः</u>– आवेदनकर्ता के प्रार्थना पत्र की छायाप्रति ।
Annexure-1 & Annexure-2.

5/8/2021
(महावीर सिंह)
उप.जनसूचना अधिकारी/
उप.परियोजना प्रबन्धक/विद्युत